

५/१/२०२१

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत स्पष्ट होता है कि वर्तमान वाद की वैधानिक अवधि शीत चुकी है। समय पक्ष की ओर से या संबंधित थाना प्रभारी से शांति भंग होने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वर्तमान वाद समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं सशोधित।

१०५/०१/२०२१

अनुमण्डल वण्डाधिकारी,
गोड्डा।

१०५/०१/२०२१

अनुमण्डल वण्डाधिकारी,
गोड्डा।